



## नोटिस

### (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965

### ( 30प्र० अधिनियम 1, 1966 ) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलालगंज लखनऊ फेज- II बनाई है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं:-

**उत्तर:-** खसरा संख्या-125 ग्राम हबुआपुर, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ व खसरा संख्या-535 ग्राम-सिठौली कला, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला-लखनऊ व खसरा संख्या-2, 83, 82, 93 व 95 भाग ग्राम-सिठौली खुर्द, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ ।

**पूरब:-** खसरा संख्या-107, 109, 110, 91, 90, 89, 81भाग, 79, 80, 11, 10भाग, 9, 14भाग 19भाग व 18 ग्राम-सिठौली खुर्द, परगना व तहसील - मोहनलालगंज जिला-लखनऊ।

**दक्षिण:-** खसरा संख्या-23, 24, 25भाग, 27 ग्राम-सिठौली खुर्द, परगना व तहसील - मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

**पश्चिम:-** खसरा संख्या-647, 646, 645 व 640भाग ग्राम-सिठौलीकला, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-08, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं ।

**योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी / विकास व्यय भी अधिभारित होगा ।**

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग ) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-08, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ में ली जायेंगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि / भवन / ग्राम का नाम / खसरा संख्या / भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

आवास आयुक्त

**अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें**



**1800-180-5333 (Toll-Free), 0522-2236803**